न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 41/2015 G.C.M.S. No. 2015/00557 दर्ज दिनांक : 30.06.2015

अपीलार्थिगण:

1. करणसिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत, निवासी महादेव गली रेलवे स्टेशन, फालना।
2. सोहन गौतम पुत्र मांगीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी हिम्मतनगर, पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. तरूणरत्न विजय महाराज, ओमजी धाम रानी, जिला पाली।
2. शंकर पुत्र तेजा जाति प्रजापति निवासी गुडा मांगलियान, तहसील देसूरी।
3. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी) राजस्थान सरकार।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/2013 बअनवान करणसिंह बनाम तरूणरत्न में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015

पैरोकार–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहनलाल वर्मा, श्री हुकमसिंह चंपावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 24.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/2013 बअनवान करणसिंह बनाम तरूणरत्न में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रानी कला की सरहद खसरा नम्बर 947 रकबा 0.49 हैक्टेयर तथा खरारा नम्बर 948 रकबा 0.49 हैक्टेयर कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल लगान 86.00 रूपये रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 तरूण रत्न विजयजी महाराज ने दिनांक 09.02.2009 को अपीलाण्ट के पक्ष में उपरोक्त खातेदारी मय तमाम हक हकूकात रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने इकरारनामा निष्पादित किया था व उपरोक्त वादग्रस्त भूमि रूपये 5 लाख रूपये में बेचाण अपीलाण्ट को करना तय हुआ व बेचाण इकरारनामा बेचाण अपीलाण्ट के पक्ष में तहरीर व तकमील किया व कब्जा भूमि का अपीलाण्ट का सुपुर्द किया। कब्जा प्राप्त करने के बाद अपीलाण्ट द्वारा काश्त की जा रही है। रेस्पोडेण्ट द्वारा रजिस्ट्री नहीं करवायी गयी। परन्तु रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 ने उपरोक्त भूमि जिसका बेचाण इकरारनामा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 09.02.2002 को किया था उसके बेचाणनामा की रजिस्ट्री दिनांक 16.03.09 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पक्ष में करा दिया। जबकि अपीलाण्ट के पक्ष में इकरारनामा में रजिस्ट्री दिनांक 09.05.2009 तक अपीलाण्ट के पक्ष में करानी थी, परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपीलाण्ट को धोखे व फरेब में रखकर वादग्रस्त भूमि का बेचाणनामा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जो बेचाणनामा शून्यवत् है व अपीलाण्ट के विरूद्ध बेअसर है। अपीलाण्ट द्वारा इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में दावा किया कि अपीलाण्ट के कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करे, उस संबंध में न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कर रखी थी, जिसमें अपीलाण्ट का कब्जा मानते हुए अपीलाण्ट के कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करने का स्थगन आदेश जारी किया था। इसके साथ ही दावा में जवाब दावा पेश होकर व तनकीयात बनकर ही दावा तय किया जाता था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। साथ ही जवाब दावा आने के बाद तनकीयात बनाकर दावा तय किये जाने का प्रावधान है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है। जिस कारण अपीलाधीन आदेश सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वादपत्र अंतर्गत धारा 92 व 188 राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराज़ीयात के पंज़ीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 16.03.2009 से सद्भाविक क्रेता व

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अभिलिखित खातेदार है। वादी द्वारा कथित अपंजीकृत अनस्टाम्प इकरारनामा दिनांक 09.02.2002 के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 188 के अंतर्गत केवल खातेदार ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः वाद विधिवर्जित होने से काबिल खारिज है।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट के वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 09.02.2002 को वादीगण के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा के आधार पर वादपत्र अंतर्गत धारा 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा गया।

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 एवं 92 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि उक्त धारा के अंतर्गत वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार केवल अभिलिखित खातेदार को प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट अभिलिखित खातेदार है तथा अपीलांट वादी द्वारा महज अपंजीकृत इकरार के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका कानूनन कोई अधिकार नहीं हैं। अतः वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 व 92 से वर्जित है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व न्यायालय को अपंजीकृत इकरार के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान करने का अधिकार नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा उपर्युक्त समस्त विधिक प्रावधानों का अवलंब लेते हुए विवेचन के साथ प्रतिवादी रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र खारिज किया गया है। जिसमें कानूनन कोई त्रुटि नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner